"राष्ट्रीय मतदाता दिवस–II"
दिनांक 25.01.2012

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

फोन नं0 – 0612–2217956
फैक्स नं0 – 0612–2215611
ई– मेल-ceo_bihar@eci.gov.in

फैक्स/ई–मेल

पत्रांक :– बी1–3–104/2011– 6335 पटना, दिनांक 17 नवम्बर, 2011 ई0।

प्रेषक

कुमार अंशुमाली,
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी (बिहार राज्य)।

विषय : दिनांक 25.01.2012 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters' Day) मनाये जाने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 11800 दिनांक 10.12.2010, पत्रांक 4044 दिनांक 26.07.2011 एवं श्री यशवीर सिंह, निदेशक, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक 491/SVEEP/2011 (NVD) दिनांक 01.11.2011.

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ किया जाये। उक्त पत्रों के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी को "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के रूप में मनाया जाना है तथा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य निर्वाचक सूची में निर्वाचकों के पंजीकरण में वृद्धि करना तथा मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। उक्त पत्र के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर समारोह आयोजित करने के संबंध में विस्तृत निदेश निर्गत किये गये थे। सुलभ संदर्भ हेतु इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रतियां पुनः संलग्न की जा रही हैं।

सारांश

- **दिनांक 25.01.2012 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करना।**
- **जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं मतदान केन्द्र स्तर पर समारोह का आयोजन।**
- **समारोह का व्यापक प्रचार–प्रसार।**
- **विभिन्न संगठनों के साथ प्रचार–प्रसार हेतु भागीदारी सुनिश्चित करना।**
- **समारोह में उपस्थित सभी नागरिकों को शपथ दिलाना।**
- **सभी नव पंजीकृत निर्वाचकों के लिये बैज तैयार कर वितरित करना।**
- **सभी नव पंजीकृत निर्वाचकों को त्रुटिरहित ईपिक वितरित करना।**
- **प्रचार–प्रसार हेतु कार्य–योजना तैयार कर इसे दिनांक 21.11.2011 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना।**
- **समारोह का प्रतिवेदन (छायाचित्र सहित) भेजना।**

इस क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनः राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2012 के अवसर पर निर्वाचकों के पंजीकरण में वृद्धि किये जाने तथा विशेषकर निर्वाचक सूची में निबंधन हेतु सुयोग्य नागरिकों को निबंधित कराने के उद्देश्य से निम्नांकित कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया है :–

क. मूल गतिविधियां :

1. सभी मतदान केन्द्र क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की 25 जनवरी को एक संक्षिप्त समारोह का आयोजन जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसमें मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी नव–पंजीकृत निर्वाचकों का अभिनंदन करेंगे। समारोह में भाग लेने वाले

प्रत्येक नव–पंजीकृत निर्वाचक को बैज (Badge), जिस पर "निर्वाचक होने पर गर्व–मतदान के लिये तैयार" (Proud to be a voter – ready to vote) अंकित हो, मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी उक्त समारोह के स्थल एवं समारोह हेतु आवश्यक संसाधन की व्यवस्था करेंगे।

2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा वैसे मतदान केन्द्रों के समारोह में भाग लिया जाना है, जिन मतदान केन्द्रों पर अधिकतम संख्या में नव पंजीकृत निर्वाचकों का अभिनंदन किया जायेगा।
3. जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पंचायत राज संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, सिविल सोसायटी संघटनों, युवा स्वयंसेवकों से संबंधित संगठनों यथा एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउट्स एवं गाइड्स, नेहरू युवा केन्द्र संघठन, मीडिया संगठनों के सहयोग से जिला मुख्यालय में उपयुक्त समारोह का आयोजन किया जायेगा, ताकि निर्वाचकों की भागीदारी की लोकप्रियता एवं निर्वाचकों के शिक्षण की गतिविधि को बढ़ाया जा सके।
4. प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस संबंधी कार्यों के सम्पादन के लिए प्रतिबद्ध कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाये।
5. सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उनकी भूमिका एवं दायित्व के संबंध में पूर्व से प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

ख. सहवर्ती गतिविधियां (Concurrent Activities) :

युवा भागीदारी में वृद्धि

- जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2012 की तैयारी हेतु सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में "युवा मतदाता महोत्सव" का आयोजन प्रतियोगिताओं के माध्यम से करेंगे। जिला स्तर पर प्रतियोगिता में विजयी होने वाले युवाओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिये जा सकते हैं।
- इंटरनेट का प्रयोग करने वाले नागरिकों से प्रश्नोत्तरी, क्या आप जानते हैं, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्वाचन से संबंधित सामान्य ज्ञान हेतु सामग्री इत्यादि के माध्यम से ऑन लाईन सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
- जिला/राज्य स्तर पर उक्त प्रतियोगिताओं/आयोजनों के विजयी उम्मीदवारों का ब्यौरा जिला/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा सकता है।

ग. महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि – राष्ट्रीय मतदाता दिवस का एक प्रमुख उद्देश्य निर्वाचक सूची में लिंग अनुपात अंतर (जहां यह जनगणना के लिंग अनुपात की तुलना में कम है) को कम करना है, विशेषकर युवा महिला, जिनकी उम्र 18–20 आयु वर्ग में है।

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2012 का प्रमुख केन्द्र बिन्दु निर्वाचक सूची में महिलाओं का निबंधन होना चाहिये।
- निर्वाचक सूची में महिलाओं के निबंधन में वृद्धि के लिए महिलान्मुख एस.वी.ई.ई.पी. अभियान चलाया जाना चाहिये।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के बीच जागरूकता का निर्माण किया जाना चाहिये।
- प्रशिक्षण के दौरान मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों को महिलाओं के निबंधन के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिये।
- स्थानीय महिला समूहों का उपयोग क्षमता निर्माण के लिए किया जाना चाहिये।
- महिला आइकॉन का उपयोग प्रचार संदेश प्रसारित करने के लिये किया जा सकता है।

घ. वातावरण निर्माण :

(I) विभिन्न प्रकार के मीडिया यथा प्रिन्ट, दृश्य–श्रव्य, बाह्य विज्ञापन, गीत एवं नाटक मंडलियों इत्यादि का उपयोग वातावरण निर्माण के लिये किया जा सकता है।

(II) राष्ट्रीय मतदाता दिवस थीम (Theme) का प्रसार :

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस के थीम पर आधारित तीन मिनट के वृत्तचित्र का प्रसार सिनेमा हॉल के माध्यम से किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त उक्त वृत्तचित्र का हिन्दी रूपांतरण विगत राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया था।
- एन.वी.डी. (NVD) थीम का प्रचार–प्रसार केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उनके क्षेत्र इकाईयों के माध्यम से कराई जा सकती है।

(III) राष्ट्रीय मतदाता दिवस शपथ का प्रसार

- सभी विद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर निर्वाचकों द्वारा ली जाने वाली शपथ का महत्त्व समझाया जाना चाहिये तथा इसका प्रचार–प्रसार विभिन्न संचार माध्यमों से सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

ङ. विभिन्न संगठनों जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, निजी मीडिया संगठन, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, एन.एस.एस., एन. सी.सी., भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स एवं शिक्षण संस्थान के साथ भागीदारी :

- राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में किया जा सकता है तथा इसके लिए आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जा सकते हैं।
- दूरदर्शन एवं आकाशवाणी का उपयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के प्रचार–प्रसार के लिये किया जाना है।
- भारतीय रेल को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के प्रचार–प्रसार हेतु सहभागी बनाया जाये।
- सिविल सोसायटी संगठन एवं लोक उपक्रमों को भी भागीदार बनाया जा सकता है।
- युवा क्लब को प्रोत्साहित किया जाना है।
- स्थानीय युवा आइकॉन का उपयोग अपील/प्रचार संदेश हेतु किया जा सकता है।
- बल्क (Bulk) एस.एम.एस./ई–मेल का उपयोग प्रसार हेतु किया जाना है।
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की नॉन मीडिया इकाई जैसे– गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय एवं अन्य क्षेत्रीय इकाईयों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- सभी प्रिन्ट मीडिया को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उद्देश्य एवं महत्त्व का प्रचार–प्रसार स्वप्रेरणा एवं बिना किसी भुगतान के करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना है।

च. ब्रांड निर्माण एवं उनका समर्थन (Brand Building and Promotion) :

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आइकॉन के संदेशों (promos) की सी.डी. सभी जिलों को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसका उपयोग निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के प्रचार–प्रसार हेतु किया जाना था। इसी प्रकार राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2011 के अवसर पर उपयोग में लाये गये प्रोमोज का उपयोग इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भी किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उद्देश्य एवं महत्त्व से संबंधित झांकी गणतंत्र दिवस, 2012 के अवसर पर तैयार कर प्रदर्शित की जा सकती है। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह, 2012 में उक्त झांकी का निर्माण जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा किया जा सकता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के आयोजन के प्रचार–प्रसार हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य माध्यमों से कार्यान्वित किये जाने हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाये तथा युवा

वर्ग एवं महिलाओं के बीच विशेष रूप से प्रचार–प्रसार किया जाये, ताकि जिले के निर्वाचक–जनसंख्या अनुपात (Elector-Population Ratio) एवं लिंग अनुपात (Gender Ratio) में अपेक्षित वृद्धि लाई जा सके। "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के आयोजन के प्रचार–प्रसार के लिये कार्य–योजना तैयार कर दिनांक 21.11.2011 तक इस कार्यालय को ई–मेल/फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

साथ ही दिनांक 25.01.2012 को जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं मतदान केन्द्र स्तर पर समारोह का आयोजन करते हुए इसमें नये निर्वाचकों को त्रुटि रहित ईपिक वितरित किये जायें एवं उपस्थित सभी नागरिकों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलायी जाये। उक्त समारोह के संबंध में प्रतिवेदन (गुणवत्ता वाले छायाचित्रों के साथ) संकलित करते हुए इस कार्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति में ससमय उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

इसे कृपया उच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनु0 : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

17.11.11

(कुमार अंशुमाली)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : 6335 पटना, दिनांक 17 नवम्बर, 2011 ई0।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथा उपर्युक्त।

17.11.11

(कुमार अंशुमाली)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।